

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 460 /2021 दिनांक : 08.02.2021

श्री प्रशान्त चौधरी (RJ0692), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक) को दिनांक 19.02.2021 से 20.02.2021 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 21.02.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा (टोंक) / सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक) के पद पर ही होने की संभावना है ।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/61/2011/1014

दिनांक 08.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 720 दिनांक 01.02.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री प्रशान्त चौधरी (RJ0692), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक) ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टोंक) ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा (टोंक) ।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह (टोंक) ।


सहायक रजिस्ट्रार